## न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं.14 बुलन्दशहर।

विशेष वाद संख्या—2056/2024
सरकार—— बनाम——होतीलाल
मु0अ0सं0 5749/2020
धारा—135 विद्युत अधिनियम।
थाना—एण्टी पावर थेफ्ट, बुलन्दशहर।

**02.7.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त होतीलाल शर्मा उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से पत्रावली पर विद्युत विभाग द्वारा निर्गत धारा—152 विद्युत अधिनियम का पत्रांक संख्या 4494 दिनांकित 19.01.2026 उपलब्ध कराया गया है, जिसके सही होने की पुष्टि विशेष लोक अभियोजक(विद्युत विभाग) द्वारा की गयी है, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा देय समस्त विद्युत बकाया मय शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क, विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि धारा—152 (1) विद्युत अधिनियम के अनुसार समस्त विद्युत देयकों की अदायगी कर दिये जाने के बाद अभियुक्त की अभिरक्षा से अवमुक्ति व वाद कार्यवाही को समाप्त किये जाने का प्रावधान है।

मामले के समस्त विद्युत देयक अभियुक्त की ओर से जमा किये जा चुके हैं, इसलिए अब इस मामले को आगे चलाये जाने का कोई यथोचित आधार प्रकट नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत वाद की कार्यवाही धारा—152(1) विद्युत अधिनियम के तहत समाप्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त होती लाल शर्मा धारा—135 विद्युत अधिनियम के आरोप से धारा—152 (1) विद्युत अधिनियम के तहत दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक 02.07.2026**

**(चन्द्र विजय श्रीनेत)**
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) /
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं014, बुलन्दशहर।
JO Code UP 6277

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.07.03 04:29:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court